वित्तीय स्वीकृति

संख्या-12/2016/भा0स0 21/52-3-16-बजट(16)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव

उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□-3, □□□□□ दिनांक 08 मार्च, 2016

विषयः-केन्द्र पु□□□□□□□□ □□□□□/□□□□ शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भार□ □□□□□ द्वारा □□□ □0-1446 □ 849 □□□वर्ष 2015-16 □□□स्वीकृत □□□□□□ अवमुक्त किये □□□□□□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय □□□□ □□□□□ □□ पत्र □0-□□-8-29/2015, □□-19, दिनांक 16.2.2016 □□□ पत्र □0-□□-8-30/2015, □□-19, दिनांक 16.2.2016 □□संदर्भ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□□ □□□□□ द्वारा □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत उपरोक्त शासनादेशों द्वारा क्रमशः 1446 □ 849 मदरसों में कार्यरत □□□□□ विषयों के शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□□□□ □□ □□□ क्रमशः अनुमोदित की □□□ □□□□□□ रू0 40,08,24,000/-□ रू0 22,34,16,000/- □□सापेक्ष प्रथम किश्त के□रूप में क्रमशः रू0 20,04,12,000/-□ रू0 11,17,08,000/- अर्थात □□□ रू0 31,21,20,000/-(रू0 इक्तीस □□□□ इक्कीस □□□ □□□ □□□□ मात्र) की □□□□□□ अवमुक्त की □□□ □□

2. □□□□वित्तीय वर्ष 2015-16 में □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश □□ रूप में रू0 02,44,71,24,000/-□□ □□ व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष □□□□ वित्तीय वर्ष में रू0 01,43,06,82,000/-की □□□□□□ अवमुक्त की □□ चुकी □□□□□ रू0 1,01,64,42,000/-की □□□□□□ □□□□□ □□□ उक्त □□□□□ □□□□□□ □□ सापेक्ष □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय भ□□□□ □□□□□□ द्वारा उपरोक्त शासनादेशों द्वारा □□□□ अवमुक्त की □□□ □□□□□□ रू0 31,21,20,000/-(रू0 इक्तीस □□□□ इक्कीस ला□ □□□ □□□□ मात्र) निम्नं□कित शर्तों/प्रतिबन्धों के□□□□□ अवमुक्त □□ □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

□0प्र0, □□□□ □□ निर्वतन पर □□□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष □□□□□ प्रदान □□□□□□-

(1) राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□ □□ □□□/□□□□□ दिये □□□□□□□□□□□□ शिक्षकों का विवरण विभागीय □□□□□□ □□ दिनांक 31.03.2016 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□ सुनिश्चित किया □□□, ताकि □□□□ □□□□□ □□प्राप्त □□□□□□ □□ □□□□□/□□□ □□ में □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□पारदर्शिता □□□ □□□□

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□ व्यय/□□□□□ □□ □□□ में □□□□ □□□□□ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों ए□□□□□-□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□राज्य □□□□□ द्वारा निर्गत सु□□□ शासनादेशों □□अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति क□□□ □□□किया □□□□□

(3) उक्त स्वीकृति ह□ शर्त □□□□□□ □□कि मदरसों □□अस्तित □□□□□ में पूरी □□□ □□आश्वस्त ह□□□□□□□□□□□ विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) □□शिक्षण कार्य □□□□□□□□शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि हो□□□□ पश्चात ही □□□□□□ □□□□□ की □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ कि लाभान्वित □□□□□ □□□□ □□□□□ द्वारा □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गा□□ □□□□ की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों □□ पूर्ण □□□□ □□ यदि किसी मदरसें में □□□□□□□ □□□□□ किया □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/□□□□ वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप □□ पूर्णतया उत्तरदायी होंगे □□□ □□□□□□□ रूप □□□□□□□ की □□□ □□□□□□ की □□□□ □□□□□□□□□ □□□□सुनिश्चित की □□□□□

(4) □□□□□□ □□□अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का □□ व्यक्तिगत दायित्व ह□□□ कि □□स्वीकृत □□□□□□ □□ दिशा-निर्देशो के□□□□□□ □□□□□□ सुनिश्चित करेगें। किसी □□ □□□ में अस्तित्वहीन □□□□□□□□ अस्तित्वहीन शिक्षक □□ □□□□□□ वितरित □ □□, वितरण □□□ सुनिश्चित किया □□□□ □□ वास्तव में उपस्थित □□ □□ मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित □□□□□ □□□ हों। वितरण पारदर्शी तरीके □□□□□□ □□□ व्यय □□ पूर्ण □□□-□□□□ □ □□□□□□ सुरक्षित □□□□□□ दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का □□□□□ प्रश्नगत य□□□□ की □□□□□□ □□ □□□□□ प्रमाण पत्र अविलम्ब □□□□ □□ पे्रषित किया □□□□□, □□ □□□□□□ व्यय नही □□ □□□□ उसकी जानकारी विवरण सहित □□□□ □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□□

1- □□ □□□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□□ विषयों के□ शिक्षकों को प्रश्नगत □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ पूर्व □□ सुनिश्चित □□ □□□ □□□□ कि पूर्व में □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ शिक्षक □□ नही किया □□□ □□

(6) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ सापेक्ष □□□□ योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के □□□□□ □□ ही □□□□□ किया □□□□□ किसी □□ □□□ में □□ □□□□□ किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की □□□□□

(7) □□ □□□□□ □□शिक्षकों को □□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ किया □□□□ जिस □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ द्वारा स्वीकृत की □□□ □□

(8) स्वीकृत □□□□□ □□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ □□ □□ अन्दर □□□ □□ उपलब्ध □□□□ □□□□

3- उक्त □□ □□□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक □□□□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय अ□□□□□□/केन्द्र द्वारा □□□□□□□ योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अर□□ □□□□ मदरसों □□ आधुनिकीकरण (□□0100/□□0-□□0)- 20-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

4- □□ □□□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□0-1-925 /□□-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निर्गत द□□ निर्देशां◌े के□ □□□□ निर्गत किये □□ □□□हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश □□□)
□□□□

संख्या-भा0स0 21/52-3-16 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ □□□आवश्यक कार्यवाही □□□प्रेषित:-

1- संयुक्त □□□□□(□□0□□0) □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा □□□ साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□, शास्त्री □□□ □□□ दिल्ली।

2- □□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

3- □□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठ □□□ थार्न हिल □□□, □□□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एव□लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा □□□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□

7- □□□□□ उर्दू/प्राच्य भाषायें/□□□□ शिक्षा विभाग, □0प्र0 □□□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0 □□□□ □

9- रजिस्ट्रार, □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□ □

10- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□□

11- कम्प्यूटर आ□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

12- गार्ड □□□□

आज्ञा □□

(□□ प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।